99 मामले दर्ज किए गए हैं आर्थिक अपराध के पूर्व और मौजूदा सांसदों और विधायकों के खिलाफ सीबीआइ, ईडी और सीबीआइसी द्वारा। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को लोकसभा में यह जानकारी दी।

तैयारी ▸ राज्य सरकार सभी कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने जा रही है

मप्र में अवकाश नकदीकरण के बाद अब कर्मियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति होगी बंद

स्वास्थ्य बीमा योजना लागू होने पर तीन हजार रुपये सालाना मिलने वाली इलाज की सुविधा नहीं मिलेगी

नईदुनिया, भोपाल : मध्य प्रदेश सरकार सभी कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने जा रही है। लेकिन, इसके अमल में आने के बाद कर्मचारियों को मिलने वाली तीन हजार रुपये की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की राशि बंद हो जाएगी। बीमा योजना में आने वाला प्रीमियम भी कर्मचारियों को अपने वेतन से वहन करना होगा। कर्मचारियों का आरोप है कि एलटीसी (लीव ट्रेवल इनकैशमेंट) व लीव इनकैशमेंट (अवकाश नकदीकरण) बंद करने के बाद पेंशन भी समाप्त कर दी गई और अब सरकार कर्मचारियों व पेंशनर्स की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी से भी पल्ला झाड़ने की तैयारी कर रही है।

गौरतलब है कि राज्य सरकार निरंतर अपने उत्तरदायित्व कम करती जा रही है और कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं धीरे-धीरे कम की जा रही हैं। 1995-96 में लीव इनकैशमेंट, एलटीसी जैसी कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएं बंद कर दी गईं। 2005 से पेंशन बंद कर उसे शेयर मार्केट के भरोसे छोड़ दिया गया। अंशदायी पेंशन योजना लागू कर दी गई। अब इलाज की जिम्मेदारी से भी सरकार मुक्त हो जाएगी। फिलहाल कर्मचारियों को सालाना तीन हजार रुपये की चिकित्सा प्रतिपूर्ति मिलती है। मामूली रूप से बीमार पड़ने पर कर्मचारी को डॉक्टर के पर्चे और दवाई के बिल के आधार पर अधिकतम तीन हजार रुपये का भुगतान किया जाता है।

कमलनाथ। फाइल

आला अफसरों के लिए अलग नियम

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों एवं मध्य प्रदेश के पुलिस कर्मियों के लिए बीमा योजना लागू है, परंतु उनकी चिकित्सा प्रतिपूर्ति बंद नहीं की गई है। मतलब दोनों व्यवस्थाएं साथ-साथ चल रही हैं। अपनी सुविधानुसार किसी एक का लाभ ले सकते हैं।

हमारा कर्मचारी वर्ग प्रस्तावित बीमा योजना को इसी शर्त पर स्वीकार करेगा कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यवस्था यथावत जारी रहे। सभी कर्मचारी-अधिकारी संगठनों से मप्र मंत्रालयीन कर्मचारी संघ इस बारे में बात भी कर रहा है।

-सुधीर नायक, अध्यक्ष मप्र राज्य मंत्रालयीन कर्मचारी संघ

सरकार बचाएगी डेढ़ सौ करोड़ रुपये

अब नई स्वास्थ्य बीमा योजना में सरकार चिकित्सा प्रतिपूर्ति के डेढ़ सौ करोड़ रुपये बचा लेगी। अब तक लगभग पांच लाख कर्मचारियों पर सरकार यह रकम खर्च करती है। इसके अलावा जिन कर्मचारियों को गंभीर बीमारी हो जाए, उन्हें मेडिकल बोर्ड के परामर्श के आधार पर जितनी भी राशि खर्च हो, उतना भुगतान किया जाता है। नई स्वास्थ्य योजना के बाद यह सुविधा छीन ली जाएगी।

पदोन्नति में आरक्षण मामले में बदला वकीलों का पैनल

नईदुनिया, भोपाल : सुप्रीम कोर्ट में पिछले तीन सालों से लंबित चल रहे पदोन्नति में आरक्षण मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने वकीलों का पूरा पैनल बदल दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल व वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह राज्य सरकार की ओर से पैरवी करेंगे। पूर्ववर्ती शिवराज सरकार ने इस मामले में अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संगठन 'अजाक्स' के दबाव में पैनल में कुछ वकीलों को रखवाया था। उन्हें करोड़ों रुपये का भुगतान भी कराया गया था, लेकिन इसका कोई प्रभावी नतीजा नहीं आया। अब संभवत: शीतकालीन अवकाश के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मप्र हाई कोर्ट ने अप्रैल 2016 में मप्र लोकसेवा पदोन्नति नियम 2002 को खारिज कर दिया था। उसके बाद से राज्य में शासकीय कर्मचारियों की पदोन्नति बंद है। राज्य सरकार ने इसी कारण कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी थी।

देश में शोध को लेकर बढ़ा रुझान, पांच वर्षों में दोगुने

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

बड़ी छलांग

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रिपोर्ट से सामने आई जानकारी
- दिल्ली, बिहार और झारखंड में शोध के मामलों में आई गिरावट

शोध के क्षेत्र में देश ने बड़ी छलांग लगाई है। पांच वर्षों में पीएचडी करने वालों की संख्या दोगुनी हो गई है। इसके पीछे सरकार के प्रयासों को काफी अहम माना जा रहा है। 2014 के बाद से लगातार इसे बढ़ावा देने के प्रयास चल रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले बजट में सरकार ने इसे बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर का शोध प्रतिष्ठान खोलने की घोषणा की थी, जिस पर अभी काम चल रहा है। इसके अलावा शोधार्थियों के मानदेय में बढ़ोत्तरी भी एक बड़ी पहल थी। जेआरएफ (जूनियर रिसर्च फेलोशिप) के मानदेय को 28 हजार से बढ़ाकर 31 हजार किया गया था।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक, शोध को लेकर यह रुझान हालांकि पूरे देश में एक समान नहीं है। असम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पिछले पांच वर्षों में शोध (पीएचडी) के मामले बढ़े हैं, वहीं दिल्ली, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में इसमें कमी आई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, देश में 2014-15 में जहां कुल 21 हजार छात्रों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई, वहीं 2018-19 में यह संख्या बढ़कर करीब 41 हजार हो गई है। संसद को दी गई इस रिपोर्ट के मुताबिक, पीएचडी के मामले में यह बढ़ोतरी कोई अचानक नहीं, बल्कि यह साल-दर साल के हिसाब से हुई है। 2014-15 में जहां देश भर में कुल 21 हजार छात्रों को पीएचडी की उपाधि दी गई, वहीं 2015-16 में 24 हजार, 2016-17 में करीब 28 हजार, 2017-18 में करीब 34 हजार और अब 2018-19 में करीब 41 हजार छात्रों को पीएचडी की उपाधि दी गई है।

गौरतलब है कि शोध को बढ़ावा देने की यह पहल सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों को विश्वस्तरीय बनाने की मुहिम के साथ ही शुरू की थी। इसके साथ सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को सामूहिक रूप से काम करने की जरूरत पर जोर दिया था।

किस राज्य में कितने हुए शोध (2014-15 और 2018-19 में तुलनात्मक)

उत्तर प्रदेश	2625	3996
उत्तराखंड	408	1013
आंध्र प्रदेश	292	2615
बिहार	874	856
झारखंड	608	360
दिल्ली	1718	594

आइटी कानून में संशोधन से पहले की शिकायत पर चलाया जा सकता है केस

नई दिल्ली, प्रेट्र : उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) कानून में 2009 में संशोधन होने से पहले के मानहानि के लिए गूगल इंडिया जैसी कंपनी पर मुकदमा चलाया जा सकता है। पहले के कानून में इस तरह की जवाबदेही से छूट हासिल नहीं थी। उच्चतम न्यायालय का फैसला गूगल इंडिया की याचिका पर आया है, जिसने आइटी कानून में संशोधन से पहले शुरू की गई मानहानि की शिकायत रद करने की मांग की थी। न्यायालय ने कहा कि शिकायत जनवरी 2009 में की गई, जबकि कानून की धारा 79 को 27 अक्टूबर, 2009 को बदला गया। हालांकि, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पहले के प्रावधानों के तहत छूट नहीं मांग सकता है। उच्चतम न्यायालय ने एक कंपनी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक सामग्री डालने के लिए गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ की गई मानहानि की शिकायत को खारिज करने से इन्कार कर दिया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण और केएम जोसफ की पीठ ने कहा कि यह मुकदमे का विषय है कि क्या गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वास्तविक कंपनी थी, जिसने एसबेस्टस शीट बनाने वाली एक कंपनी के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री को अपनी वेबसाइट पर डाला था।

बिहार में जेलों की हालत पर हाई कोर्ट ने तलब की रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, पटना : पटना हाई कोर्ट ने जेल आइजी को 16 दिसंबर तक बिहार के सभी जेलों की स्थिति के संबंध में विस्तृत जानकारी देने को कहा है। इसके पहले हाई कोर्ट ने केवल छपरा जेल में असुविधा को लेकर तीन वकीलों की जांच कमेटी गठित की थी। अदालत ने जेल आइजी को शपथपत्र दायर कर जेलों की संख्या, कैदियों को रखने की क्षमता और सुविधाओं के बारे में बताने को कहा है। सरकार को यह भी बताना है कि क्षमता से अधिक कैदी किस जेल में रखे गए हैं। हाई कोर्ट ने प्रमोद कुमार सिंह द्वारा दायर लोकहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। याचिकाकर्ता ने छपरा जेल की दयनीय स्थिति और वहां बुनियादी सुविधाओं के अभाव को लेकर यह लोकहित याचिका दायर की थी।

लालू की संपत्ति को ले सुनवाई : पटना हाई कोर्ट ने मंगलवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद एवं उनके परिवार से जुड़े सम्पत्ति विवाद को दिल्ली भेजे जाने पर आपत्ति की है। यह केस सगुना मोड़ पर बन रहे मॉल से संबंधित है। यह जमीन विजय कोचर, विनीत कोचर, अखिल कोचर सुजाता होटल एवं अजय कोचर व अन्य लोगों द्वारा लालू परिवार को दी गई थी। अधिवक्ता अर्चना सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि इस पूरे मामले को दिल्ली भेजा जा रहा था। लारा ग्रुप द्वारा इनकम टैक्स फैसले को चुनौती दी गई थी। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय ने की।

लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मामले में केंद्र को नोटिस

हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जानकारी मांगी है कि क्या राज्य सरकार लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर सकती है। इस मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। केंद्र को यह बताना है कि किस नियमावली के तहत राज्य सरकार ने लोहार को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया। इस मामले पर हाई कोर्ट ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति कर्मचारी संघ की याचिका पर सुनवाई की।

संविधान के मुताबिक चले देश : नायडू

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

हैदराबाद एनकाउंटर को लेकर छिड़ी बहस के बीच उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सब कुछ संविधान के मुताबिक ही होना चाहिए। मीडिया से लेकर न्यायपालिका सभी को इस पर साथ चलने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने कहा कि तत्काल न्याय जिस तरह से देश के लिए ठीक नहीं है, वैसे ही न्याय में देरी भी ठीक नहीं है।

उपराष्ट्रपति नायडू मंगलवार को अंबेडकर सेंटर में आयोजित लोकमत संसदीय पुरस्कार में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के हर क्षेत्र में संविधान का पालन किया जाना चाहिए। देश में इन दिनों तत्काल न्याय की बात हो रही है। लेकिन, आप तत्काल न्याय नहीं कर सकते हैं। न ही न्याय में देरी ही ठीक है। आपको केस रजिस्टर करना होगा। जांच पूरी करनी होगी और न्यायिक प्रक्रिया को पूरा करना होगा। यही सिस्टम का सही तरीका है।

नायडू ने इसके साथ ही मीडिया को ब्रेकिंग न्यूज की आपाधापी से बचने की भी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि मीडिया को टीआरपी रेस से बचते हुए न्यूज और व्यूज के अंतर को समझना होगा। आमलोगों को भी ऐसे समाचारों से सतर्क रहना चाहिए।

नई दिल्ली में मंगलवार को लोकमत संसदीय पुरस्कार समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू (दाएं) और राकांपा प्रमुख शरद पवार। जागरण

संसद के दोनों सदनों में उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (राज्यसभा) और पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव (लोकसभा) को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड सहित आठ लोगों को संसदीय सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। लोकमत समाचार पत्र समूह की ओर से हर साल संसद के दोनों सदनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सांसदों को पुरस्कृत किया जाता है। इस क्रम में 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार तिरुचि शिवा (राज्यसभा) और सौगत राय (लोकसभा) को दिया गया है। इसी तरह सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद का पुरस्कार विप्लव ठाकुर (राज्यसभा) और सुप्रिया सुले (लोकसभा) को दिया गया है। पहली बार संसद पहुंचीं सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद का पुरस्कार कहकशां परवीन (राज्यसभा) और डॉ. भारती प्रवीण पवार (लोकसभा) को दिया गया है।

पूर्वोत्तर में नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में प्रदर्शन

- कई जगह सुरक्षा बलों के साथ टकराव
- त्रिपुरा में 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा निलंबित
- सड़क जाम के कारण दो माह के बीमार बच्चे की मौत

गुवाहाटी, प्रेट्र : नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में पूर्वोत्तर के कई हिस्सों में छात्र संगठन मंगलवार को सड़क पर उतर आए। त्रिपुरा में प्रदर्शनकारियों द्वारा सड़क पर जाम लगाने के कारण दो माह के बीमार बच्चे को ले जा रही एंबुलेंस समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सकी जिससे उसकी मौत हो गई। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और नार्थ ईस्ट स्टूडेंट आर्गेनाइजेशन (एनईएसओ) के प्रदर्शन के कारण असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में जनजीवन थम गया। त्रिपुरा में दोपहर दो बजे से 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा को निलंबित कर दिया गया। वामपंथी संगठनों एसएफआइ, डीवाईएफआइ, एआइडीब्ल्यूए, एआइएसएफ और एआइएसए ने भी बंद का आह्वान किया था।

गुवाहाटी के विभिन्न इलाकों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। सचिवालय और विधानसभा भवन के पास प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष भी हुआ। डिब्रूगढ़ में बंद समर्थकों और सीआइएसएफ कर्मियों के बीच टकराव हुआ। तीन प्रदर्शनकारी घायल हो गए। बंद के कारण विश्वविद्यालयों ने परीक्षा की नई तारीख घोषित की है।

त्रिपुरा में प्रदर्शनकारियों ने बाजार में लगा दी आग

त्रिपुरा में रेल सेवा ठहर गई और वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे प्रदर्शनकारियों ने धलाई जिले में बाजार में आग लगा दी। यहां ज्यादातर दुकानें गैर आदिवासियों की हैं। आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया। अरुणाचल प्रदेश में बंद के कारण सड़क से निजी वाहन गायब रहे। सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति शून्य रही। मणिपुर छात्र संगठन ने तीन बजे भोर से छह बजे शाम तक बंद का आयोजन किया। मेघालय में प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाए और वाहनों को क्षतिग्रस्त किया।

यूनियनों से जुड़े 50 हजार कर्मियों पर रेलवे की नजर टेढ़ी, वीआरएस देने पर विचार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

यूनियनों से जुड़े रेलवे के हजारों पदाधिकारियों के लिए नौकरी का सफर आगे कठिन हो सकता है। रेल मंत्रालय द्वारा हाल ही में आयोजित परिवर्तन संगोष्ठी में यूनियन पदाधिकारियों के पर कतरने पर सहमति बनी है। संगोष्ठी में यह बात सामने आई कि रेलवे के हर डिवीजन में विभिन्न यूनियनों के करीब ढाई सौ पदाधिकारी हैं। उनका कर्मचारी के रूप में योगदान नगण्य, जबकि सुविधाएं जबरदस्त हैं। पूरे देश में ऐसे पदाधिकारियों की संख्या करीब 50 हजार है। मंत्रालय का आकलन है कि ये रेलवे पर बोझ बने हुए हैं और इनसे काम कराना दुष्कर है। इनकी वजह से रेलवे की उत्पादकता बुरी तरह प्रभावित हो रही है। लिहाजा, इनकी सुविधाओं में कटौती के अलावा 55 वर्ष की उम्र पार कर चुके पदाधिकारियों को वीआरएस देने पर विचार किया जाना चाहिए। खासकर उन सुपरवाइजरों पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है जो किसी यूनियन के पदाधिकारी हैं। इन्हें यूनियन का पद या सुपरवाइजरी में से किसी एक को चुनना होगा, अन्यथा वीआरएस लेना होगा। इससे रेलवे की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी तथा कर्मचारियों का बोझ कम होने से खर्चों पर अंकुश लगेगा।

30 फीसद घटाने होंगे कर्मचारी : परिवर्तन संगोष्ठी में रेलवे कर्मियों के वेतन व पेंशन के खर्च में लगातार बढ़ोतरी का मुद्दा छाया रहा। कहा गया कि रेलवे का कर्मचारियों पर होने वाला खर्च कुल आय के 60 फीसद से ज्यादा है, जो किसी भी प्रतिष्ठान के लिए अत्यधिक है, इसलिए कर्मचारियों की संख्या में कटौती आवश्यक हो गई है। हालांकि, इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए। पहले चरण में तीन साल के अंदर 10 फीसद कर्मचारी कम किए जाने चाहिए। इसके बाद धीरे-धीरे इसे 30 फीसद तक ले जाना चाहिए। खासकर, अकुशल कर्मचारियों की संख्या तो बेहद कम होनी चाहिए। कर्मचारियों की संख्या 50 फीसद तक घटाने का प्रस्ताव भी सामने आया।

कारखानों की उत्पादकता पर जताई गई चिंता : रेलवे कारखानों व कार्यशालाओं की कम उत्पादकता पर भी चिंता प्रकट की गई। मंत्रालय का प्रस्ताव था कि उत्पादन इकाइयों और वर्कशॉप में जरूरत से ज्यादा ओवरटाइम भुगतान किया जाता है। इसमें कटौती की जरूरत है। इसके अध्ययन के लिए बाहरी एजेंसियों से उत्पादकता और ओवरटाइम की समीक्षा कराई जानी चाहिए। रेलवे में आउटसोर्सिंग की व्यवस्था खर्चों में कटौती के लिए की गई थी, लेकिन न्यूनतम वेतन भुगतान के कारण खर्च घटने की बजाय बढ़ रहे हैं, इसलिए आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या की जगह उनकी उत्पादकता के आधार पर भुगतान की कोई प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।

प्रस्तावों पर रेलवे यूनियन ने जताई नाराजगी

रेलवे की सबसे प्रमुख यूनियन एआइआरएफ के महासचिव शिवगोपाल मिश्रा ने कहा, 'इन प्रस्तावों को देखकर लगता है कि उक्त संगोष्ठी रेलवे की 'परिवर्तन संगोष्ठी' न होकर 'समापन संगोष्ठी' थी। कारण है कि यदि प्रस्तावों को लागू किया गया तो परिवर्तन हो न हो, लेकिन रेलवे बंद जरूर हो जाएगी।

आइपीएस अधिकारी के खिलाफ दुष्कर्म मामला एजेंसी को सौंपने से इन्कार

- सुप्रीम कोर्ट ने किसी केंद्रीय एजेंसी को मामला स्थानांतरित करने की महिला की अपील ठुकराई

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला द्वारा पश्चिम बंगाल कैडर के आइपीएस अधिकारी पर बलात्कार का आरोप लगाने के मामले की जांच किसी केंद्रीय एजेंसी को स्थानांतरित करने से मंगलवार को इन्कार कर दिया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में दो एफआइआर दर्ज की थी।

पहली एफआइआर महिला ने दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाए गए थे कि फेसबुक पर दोस्त बने आइपीएस अधिकारी ने उसके साथ दुष्कर्म किया, वहीं दूसरी एफआइआर आइपीएस अधिकारी की मां ने दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाए थे कि महिला और उसके परिवार के सदस्य उन पर 15 लाख रुपये देने का दबाव बना रहे हैं और ऐसा नहीं करने पर दुष्कर्म एवं अन्य आपराधिक मामले दर्ज कराने की धमकी दे रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'ऐसा कुछ भी ठोस' दिखाने के लिए नहीं है कि जांच सही दिशा में नहीं हो रही है या किसी विशिष्ट दिशा में जांच नहीं हो सकी है। कोर्ट ने कहा, 'हमारा मानना है कि आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस चरण में यह कहा जा सकता है कि अगर कोई भी वीडियो या आडियो रिकार्डिंग याची के पास है तो उसे आज से दो दिनों के अंदर एसआइटी को सौंपा जा सकता है। यह एसआइटी पर छोड़ा जाता है कि वह विचार करे कि इस हिस्से को पूरक आरोपपत्र में शामिल करना है या नहीं जिसे दायर करने पर विचार किया जा रहा है।'

कोर्ट ने कहा, 'उपरोक्त परिस्थितियों में हमें कोई कारण नहीं दिखता कि दोनों प्राथमिकियों की जांच इस चरण में किसी केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपी जाए।' जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस इंदू मल्होत्रा की पीठ ने उस महिला को भी नोटिस जारी कर पूछा कि गलत बयान देने के लिए उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए और गलत बयान देने के लिए उसके खिलाफ आदेश क्यों न पारित किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि मामले को स्वतः संज्ञान कार्यवाही के लिए दर्ज किया जाए और इस आदेश की प्रति महिला को भेजी जाए। साथ ही कोर्ट ने महिला को 14 जनवरी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया।

24 साल से कैद में गंगा

मोक्षदायिनी हैं गंगा मैया। सब मैया के तारे ही तरते हैं। लेकिन, उनकी ही मुक्ति फंस जाए तो? कानपुर में ऐसी ही उल्टी गंगा बहाई जा रही है। 24 बरस पहले कानपुर से उन्नाव होते हुए लखनऊ को जोड़ने वाला गंगा बैराज बना तो गंगा प्रतिमा भी लाई गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती एक सितंबर 1995 को पुल चालू कर गईं, लेकिन प्रतिमा सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस के स्टोर रूम से बाहर न आ सकी। वर्ष 2005 में मुलायम सिंह यादव की सरकार में चौधरी अजित सिंह ने यहीं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा लगवा दी, लेकिन...। अब 14 दिसंबर को गंगा का जायजा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। क्या मैया को अब मुक्ति मिल सकेगी?

संजय यादव

परिवार का 40 लाख कर्ज चुकाने के लिए हरप्रीत ने चुराए हथियार

जागरण संवाददाता, होशियारपुर

- पांच दिसंबर को मध्य प्रदेश स्थित सेना प्रशिक्षण केंद्र से चोरी की थी दो राइफलें और तीन मैग्जीन

सेना से फरार हरप्रीत सिंह ने 40 लाख रुपये कर्ज में डूबे परिवार को बाहर निकालने के लिए मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी स्थित सेना के प्रशिक्षण केंद्र से दो इंसास राइफलें, तीन मैगजीन और 20 कारतूस चोरी किए थे। इन हथियारों के दम पर उसने होशियारपुर के दोसड़का के एक ज्वेलर को लूटने की साजिश बनाई थी। इसके लिए उसने चार साथियों की गैंग भी तैयार कर ली थी। ज्वेलर के अलावा क्षेत्र के छह और अमीर लोग गैंग के निशाने पर थे। पैसे की व्यवस्था कर हरप्रीत अपनी प्रेमिका से शादी भी करना चाहता था।

डीएसपी गुरप्रीत सिंह ने मंगलवार शाम को बताया कि छह दिसंबर को को सेना प्रशिक्षण केंद्र के कर्नल मनोज धंधपाल ने एडीजीपी इंटरनल सिक्योरिटी आरएन ढोके को सूचना दी कि गांव मियाणी (होशियारपुर) का रहने वाला हरप्रीत उर्फ राजा पुत्र हरबंस सिंह सेना का जवान था। उसने अपने एक साथी जगतार सिंह जग्गा के साथ मिलकर पांच दिसंबर को सेना प्रशिक्षण केंद्र से दो इंसास राइफल, तीन मैग्जीन और 20 कारतूस चोरी किए हैं। जगतार भी गांव मियाणी का रहने वाला है। एसएसपी ने दोनों आरोपितों को पकड़ने के लिए तीन डीएसपी की स्पेशल टीम बनाई। टीम ने सोमवार रात को करीब 11 बजे गांव कंधाली नारंगपुर में गन्ने के खेत के पीछे बने पोल्ट्री फार्म में छापामारी कर हरप्रीत सिंह, जगतार सिंह जग्गा, कर्मजीत सिंह उर्फ मोनू, गुरजिंदर सिंह उर्फ काका (सभी निवासी मियाणी) और सर्बजीत सिंह उर्फ साईं (निवासी गांव चौटाला) को पकड़ लिया। आरोपितों के पास से चोरी की दोनों इंसास राइफल, तीन मैगजीन और 20 कारतूस बरामद किए गए।

केरल के बिलिवर्स चर्च ने विदेशी फंड से झारखंड के कई जिलों में खरीदी जमीन

दिलीप कुमार, रांची

केरल की बिलिवर्स चर्च ऑफ इंडिया ने फॉरेन कंट्रिब्यूशन रेगुलेशन एक्ट-2010 (एफसीआरए) के तहत मिलने वाले विदेशी फंड का दुरुपयोग कर झारखंड में अरबों रुपये की जमीन खरीदी है। अधिकांश जमीन रांची, खूंटी, लोहरदगा, लातेहार, चतरा व चाईबासा जिले में खरीदी गई हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय से ब्योरा मिलने के बाद झारखंड सरकार की गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अपराध अनुसंधान विभाग (सीआइडी) को जांच का आदेश दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिले पत्र में बताया गया है कि केरल की बिलिवर्स चर्च ऑफ इंडिया ने झारखंड में कई जगहों पर जमीन खरीदी है।

सामान्य रूप से खरीदी गई जमीन

रांची : कांके में 11.33 डिसमिल। नामकुम के नचलदाग में एक जगह पर 3.50 एकड़ व दूसरी जगह पर 2.05 एकड़। नामकुम में एक अन्य जगह पर 13.50 डिसमिल। सदर थाना क्षेत्र के गाड़ीगांव में 15 डिसमिल। इटकी में 20 डिसमिल। नगड़ी के सांबो में 12 डिसमिल।

खूंटी जिला : तोरपा एक एकड़। कर्रा के हेसला गांव में 20 डिसमिल, इथेटोली में 98 डिसमिल व मेहा गांव में 82 डिसमिल। रनिया में एक एकड़। खूंटी में 24 डिसमिल।

चतरा जिला : सिमरिया के बकचोना गांव में 20 डिसमिल। गिद्धौर के सलगा में 34 डिसमिल। रामानुजगंज में 0.10 हेक्टेयर।

गुमला : कामडारा के तुरुंडू गांव में 65 डिसमिल। रायडीह में एक जगह दो एकड़, दूसरी जगह एक एकड़ व तीसरी जगह 1.20 एकड़। भरनो में एक एकड़। डुमरी में एक जगह 0.25 एकड़ व दूसरी जगह 0.75 एकड़। गुमला में 1.36 एकड़।

सिमडेगा : ठेठईटांगर में 1.68 एकड़। कोलेबिरा में एक एकड़।

पारिश चर्च बनाने के नाम पर खरीदी गई जमीन

रांची : इटकी के मकुंदा में 20 डिसमिल। बेड़ो के हरिहरपुर जामटोली में 28 डिसमिल। नामकुम के उलातू में 07 डिसमिल। जगन्नाथपुर के हेसाग में आठ डिसमिल।

खूंटी : हेसाग में 1.80 एकड़। रनिया के रायकेरा में 40 डिसमिल। तोरपा के कुंडी गांव में 19 डिसमिल।

गुमला : थुकाई में 60 डिसमिल। रायडीह में 0.25 एकड़। बिशुनपुर के राहे गांव में 69 डिसमिल।

लोहरदगा : भंडरा के भैसमुंडो में 20 डिसमिल।

ट्रेन में पबजी खेलते हुए पानी की जगह पी गया केमिकल, मौत

जागरण संवाददाता, आगरा

- कारोबारी ने अपने साथ बोतल में रखा था चांदी साफ करने का केमिकल

जानलेवा साबित हो रहे पबजी गेम ने मंगलवार को एक और युवक की जान ले ली। स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस में मोबाइल पबजी गेम खेला रहा युवक पानी की जगह केमिकल पी गया। चिकित्सीय मदद मिलने से पहले उसकी मौत हो गई।

ग्वालियर में चंद्रवनी नाका, थाना झांसी रोड के रहने वाले चांदी कारोबारी 20 वर्षीय सौरभ यादव पुत्र पीतम यादव अपने दोस्त पड़ोस में रहने वाले संतोष शर्मा के साथ स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस से आगरा आ रहे थे। संतोष के मुताबिक उनको आगरा के सराफा बाजार में काम था। सौरभ भी उनके साथ आ गया। सौरभ के पास एक बैग था। बैग में एक बोतल में चांदी साफ करने का केमिकल और एक बोतल में पानी था। दोनों ग्वालियर से जनरल बोगी में बैठ गए। सौरभ नीचे सीट पर बैठ गया। संतोष ने बताया कि सौरभ कान में लीड लगाकर मोबाइल पर पबजी गेम खेल रहा था और चने खा रहा था। थोड़ी देर बाद पानी पीने के लिए उसने बैग से बोतल निकाली। उसके हाथ में पानी की जगह केमिकल की बोतल आ गई, जिसे वह बिना देखे पी गया। थोड़ी देर में उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह उल्टी करने लगा। मुरैना स्टेशन पर चिकित्सीय सहायता नहीं मिल सकी। ट्रेन में ही युवक की मौत हो गई। दोपहर करीब साढ़े तीन बजे ट्रेन आगरा कैंट स्टेशन पर पहुंची। जीआरपी इंस्पेक्टर विजय सिंह ने शव को उतारा। सौरभ के स्वजनों को सूचना दी गई है। इंस्पेक्टर ने बताया कि संतोष ने युवक के गेम खेलते समय केमिकल पीने की बात बताई है। केमिकल की बोतल को जब्त कर लिया है। उसे जांच के लिए भेजा जाएगा। देर शाम सौरभ के स्वजन भी आगरा पहुंच गए हैं।